भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2015/H-1/12/3/HVS/Policy **New Delhi, dated 09.06.2016**

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units,
DG/RSC/Vadodra,DG/RDSO, Lucknow,
CAO/DMW/Patiala

Subject:. Extension to the scheme of "Honorary Visiting Specialists" in all the Railway Hospitals all over Indian Railways

In continuation to Board's letter 2015/H-1/12/3/HVS/Policy dated 25.06.2015, sanction of the Ministry of Railways is hereby accorded for further extension of the scheme of "Honorary Visiting Specialists" from 01.07.2016 to 30.06.2017 in all the Railway Hospitals over all Indian Railways.

The term of Honorary Visiting Specialists who have been engaged or accorded sanction for extension up to 30.06.2016, may now be considered for extension in terms of the extant instructions for a period of one year w.e.f. the date they have taken charge of their posts.

All other terms and conditions will remain the same as given in the consolidated instructions issued vide Board's letter no. 2014/H-1/12/8/HVS/Policy dated 19.06.2015.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Dr.P.Pant)
Director/IH
Railway Board

No. 2015/H-1/12/3/HVS/Policy **New Delhi, dated 09.06.2016**
Copy forwarded to:

1. The FA&CAO, All Indian Railways/PUs.
2. The Chief Medical Directors, All Indian Railways/
3. The Chief Medical Officers, All Production Units.
4. The Chief Personnel Officers, All Indian Railways/PUs.

(Dr.P.Pant)
Director/IH
Railway Board

No. 2015/H-1/12/3/HVS/Policy **New Delhi, dated 09.06 .2016**
Copy forwarded to:

1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/PUs.
2. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

Copy for information to: EDF(E),JDF(E) & F(E) Spl. (with 5 spares)

1. General Secretary, AIRF, New Delhi (35 copies)
2. General Secretary, NFIR, New Delhi (35 copies)
3. President, Railway Board Non-Ministerial Staff Association, R.No.-42, Rail Bhawan ,New Delhi.
4. President, Retired Railway Employees Welfare Association,698/7UE, Gurgaon, Haryana-122001

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 09.06.2016

सं. 2015/एच-1/12/3/एचवीएस/पॉलिसी

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
महानिदेशक/आरपसबी/वडोदरा, महानिदेशक/ अ.आ.मा.सं., लखनऊ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/डीएमडब्ल्यू/पटियाला

विषय:- सभी भारतीय रेलों पर सभी रेलवे अस्पतालों में 'ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट' योजना की समयावधि बढ़ाना।

बोर्ड के दिनांक 25.06.2015 के पत्र सं. 2015/एच-1/12/3/एचवीएस/पॉलिसी के क्रम में सभी भारतीय रेलों के सभी रेलवे अस्पतालों में 'ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट' योजना की समयावधि को आगे 01.07.2016 से 30.06.2017 तक बढ़ाने के लिए एतद्द्वारा रेल मंत्रालय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ऐसे 'ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट' जिनकी नियुक्ति अथवा जिनकी समयावधि बढ़ाने की मंजूरी 30.06.2016 तक के लिए प्रदान की गई है, के कार्यकाल को उनके द्वारा उस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से अब एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए।

अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें बोर्ड के दिनांक 19.06.2015 के पत्र सं. 2014/एच-1/12/8/एचवीएस/पॉलिसी के तहत जारी समेकित अनुदेशों में दिए गए अनुसार ही रहेंगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(डॉ. पी. पन्त)
निदेशक/आईएच
रेलवे बोर्ड.

नई दिल्ली, दिनांक 09.06.2016

सं. 2015/एच-1/12/3/एचवीएस/पॉलिसी
प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी उत्पादन इकाइयां।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

(डॉ. पी. पन्त)
निदेशक/आईएच
रेलवे बोर्ड.

नई दिल्ली, दिनांक 09.06.2016

सं. 2015/एच-1/12/3/एचवीएस/पॉलिसी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/ रेलें.

प्रतिलिपि सूचनार्थ: कार्यपालक निदेशक वित्त (स्था.), संयुक्त निदेशक वित्त (स्था.) एवं वित्त (स्था.) स्पे. (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड नान-मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, कमरा नं.-42, रेल भवन, नई दिल्ली।
अध्यक्ष, रिटायर्ड रेलवे इंम्पलाइज़ वेलफेयर एसोसिएशन, 698/7यूई, गुड़गांव, हरियाणा- 122001

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड